शीर्ष प्राथमिकता

संख्या–1/1/96–का–प्रसको/2002

प्रेषक,

भुइयाँदीन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

2. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

कार्मिक विभाग–प्रशिक्षण समन्वय कोष्ठक: दिनाँक : लखनऊ : जुलाई 15 ,2002

विषय:– नोडल संस्थान दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास प्रशिक्षण संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ को प्रशिक्षण संबंधी सूचनाओं का प्रेषण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में आपको यह अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है, कि प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल के उत्तरांचल राज्य में चले जाने के फलस्वरूप प्रशिक्षण संबंधी समस्त कार्य अब दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास प्रशिक्षण संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ के माध्यम से सम्पादित कराये जाने का निर्णय, शासन द्वारा लिया गया है तथा उक्त प्रशिक्षण संस्थान के कैम्पस में प्रशासनिक अकादमी की स्थापना करते हुए ग्राम्य विकास प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक के पद को महानिदेशक के पद पर उच्चीकृत किया जा चुका है ।

2. अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया संलग्न प्रपत्र के अनुसार वांछित सूचना शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर महानिदेशक, दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास प्रशिक्षण संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ को भिजवाते हुए, कार्मिक विभाग को भी अवगत कराने का कष्ट करें । आप द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के आधार पर ही विभागीय अधिकारियों/ प्रशिक्षण संस्थान के संकाय अधिकारियों/नामित प्रशिक्षण प्रबंधकों को, उनके अनुरूप प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी तथा शासन स्तर पर बैठकें आहूत कर समीक्षा भी की जायेगी ।

संलग्नक – यथोपरि।

भवदीय,

(भुइयाँदीन)
विशेष सचिव ।

संख्या–1/1/96 (1)–का–प्रसको/2002, तद्दिनाँक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. समस्त शीर्ष/राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश ।
2. महानिदेशक, दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास प्रशिक्षण संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ को उनके पत्र संख्या–760 दिनाँक 25 जून, 2002 के संदर्भ में ।
3. कार्मिक अनुभाग–3

आज्ञा से,

(भुइयाँदीन)
विशेष सचिव ।

प्रारूप

विभाग का नाम .....दूरभाष सं0....फैक्स सं0....

1. (क) विभाग में नामित प्रशिक्षण प्रबंधक का नाम, पदनाम, दूरभाष संख्या एवं पता

(ख) विभागाध्यक्ष कार्यालय में नामित प्रशिक्षण प्रबंधक का नाम, पदनाम, दूरभाष संख्या एवं पता ।

2. विभाग के नियंत्रणाधीन कोई प्रशिक्षण संस्थान है अथवा विभाग अन्य किसी प्रशिक्षण संस्थान के साथ सम्बद्ध किया गया है। सम्बद्धता की स्थिति में प्रशिक्षण संस्थान का नाम अंकित करें ।

3. विभाग के सहयोग से संबंधित संस्थान /सम्बद्ध प्रशिक्षण संस्थान द्वारा वर्ष, 2002-2003 का वार्षिक प्रशिक्षण कलेन्डर तैयार कराकर दी0द0 उ0राज्य ग्राम्य विकास संस्थान से अनुमोदित करा लिया गया है, यदि नहीं तो शीघ्र उक्त संस्थान को भिजवायें ।

4. विभाग के कितने अधिकारियों द्वारा आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया गया है। शेष कितने अधिकारियों को दी0द0उ0रा0ग्रा0वि0संस्थान से आधारभूत प्रशिक्षण दिलाया जाना अपेक्षित है।

5. प्रशिक्षण संस्थानों के कितने संकाय अधिकारियों को एम0ओ0टी0/डी0ओ0टी0/डी0टी0एम0प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है तथा कितने संकाय अधिकारी उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अपेक्षित हैं ।

6. कितने विभागीय/विभागाध्यक्ष कार्यालयों में नामित प्रशिक्षण प्रबंधकों ने उक्त विषयक में प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है तथा कितने प्रशिक्षण प्रबंधक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अपेक्षित हैं ।

7. मद सं0-44-प्रशिक्षण व्यय में वित्तीय वर्ष, 2002-03 में प्राविधानित धनराशि तथा उपयोग की अद्यतन स्थिति । यदि उक्त मद में धनराशि आवंटित नहीं हो सकी है तो क्या विभाग/ विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा अन्य किसी श्रोत (नई माँग/पुनर्विनियोजन/अनुपूरक अनुदान आदि) से उक्त धनराशि प्राप्त करने के प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजे गये हैं । यदि नहीं तो क्यों ?

विभाग/विभागाध्यक्ष के
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
एवं सील